आदेश

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

सी0सी0ए0 (जिला बदर) वाद संख्या – 46/2019

राज्य बनाम् दिलीप साव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
17/07/2019	–:: आदेश ::–	

लोक अभियोजक, रामगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी दिलीप साव, पिता झरी साव, साकिन–पतरातू बाजार, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा– 3(3)(क) के तहत् जिला निष्कासन (जिला बदर) करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक, रामगढ़ का बहस सुना। अभियुक्त के विरूद्ध व्यावसायियों, उद्यमियों, संवेदकों, ईट भट्ठा मालिक आदि से रंगदारी एवं बलात्कार करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार हैः–

1.– पतरातू (बरकाकाना) थाना काण्ड सं०–182/13 दिनांक 23.08.2013 धारा– 341/342/323/307/385/386/120बी०/34 भा0द0वि0 दर्ज है,

2.– पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड सं0– 134/11 दिनांक 27.07.2011 धारा– 25(1–बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज है एवं

3.– पतरातू थाना काण्ड सं0– 188/10 दिनांक 15.08.2010 धारा– 376 भा0द0वि0 दर्ज है।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभ्युक्त के विरूद्ध कई संगीन मामले दर्ज है। अभ्युक्त के अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस आधार नहीं बताया गया कि इनमें संगीन मामले दर्ज होने के बावजूद अभ्युक्त के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई क्यों नहीं की जाय।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक अभियोजक, रामगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुसंशा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश से कुख्यात अपराधकर्मी दिलीप साव, पिता झरी साव, साकिन–पतरातू बाजार, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)(क) के तहत् 06 (छः) महीने का **जिला निष्कासन (जिला बदर)** का आदेश दिया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को भेजे। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

400/विधि
24/07/19

17/07/19

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।